समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

–: आदेश :–

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 72/आ०प्र०, दिनांक– 12.10.2013 के चालू वित्तीय वर्ष 2013 –14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235 समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य –60 – अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधु शीर्ष –200– अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष –0008 – गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड – एन0–223560200008 के अन्तर्गत इस जिला को मो0 – 1,50,000/– **(एक लाख पचास हजार)**रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह आवंटन गैर प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने के मद्देनजर वरीय उपसमाहर्त्ता सह कार्यक्रम पदाधिकारी मध्यान भोजन योजना, मधेपुरा के पत्रांक 268 दिनांक 17.07.13 के द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निम्नांकित शर्तो के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय / पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :–

क्र.	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपआवंटित राशि
01	अंचल अधिकारी, आलमनगर	शून्य	1,50,000/–	1,50,000/–
कुल योग :–			1,50,000/–	1,50,000/–

उपावंटन की शर्ते :–

1. उपरोक्त आवंटन वित्त विभागीय पत्रांक 2561वि0(2)दिनांक 17–04–1998 एवं ज्ञापांक 2/आ0प्र0, दिनांक 06.04.10 एवं 164/ आ0 प्र0, दिनांक 10.03.11 के आलोक में किया जाना है ।
2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में वर्ष मुख्य बजट शीर्ष 2235 समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य –60 – अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधु शीर्ष –200– अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष –0008 – गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड – एन0– 223560200008 मांग संख्या 39 यूनिट कोड 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपांटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेबारी होगी ।

4. उपआवंटित राशि का उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का बिचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होगें।
5. उपावंटित राशि की गई राशि की निकासी यथा संभव Fully Vocher Bill के माध्यम से ही की जाय । अपिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियामावली प्रवधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप दिनांक 15.03.2014 तक शीध्र भेज दिया जाय।
6. उपावंटित राशि की निकासी संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित कियाा जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेबार होंगे ।
7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.14 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेबार होंगे । राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए ।
8. अंचलाधिकारी, आलमनगर को निदेश दिया जाता है कि संकल्प 2901 /आ0 प्र0 दिनांक 03.10.08 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि धटना गैर प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में ही आती है । संतुष्ट होने के उपरान्त अभिलेख संधारित कर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से स्वीकृति हेतु आपदा प्रबंधन कार्यालय को उपलब्ध करावें।

ह०

जिला पदाधिकारी ,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 684 दिनांक 31-12-2013

प्रतिलिपि : - अंचल अधिकारी, आलमनगर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : - कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा को उनके पत्रांक 268 दिनांक 17.07.13 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन , बिभाग , बिहार , पटना को सादर सूचनार्थ ।

31/12/13

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।